बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633 / 2003)
Websitie : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com,

कार्य. अध्यक्ष
* सुरेश पासवान
मो.– 9431468605
महासचिव.
* सुशील कुमार
मो. – 9431091417, Email : shushilkumar09@gmail.com

संयुक्त सचिव * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष * विनोद आनन्द

पत्रांक 47

दिनांक 21-12-2016

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार।

विषय :– मधुबनी जिला अन्तर्गत जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी श्री मुस्तफा कमाल अंसारी को निगरानी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के संदर्भ में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक जिला इकाई मधुबनी द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक– 27.10.2016 को जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी श्री मुस्तफा कमाल अंसारी को निगरानी द्वारा रंगे हाथ न पकड़कर अन्य व्यक्ति को जबरन पैसा एवं अन्य वस्तुएँ थमाकर अमानवीय तरीके से गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त पर दिनांक– 18.12.2016 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की केन्द्रीय कार्यकारणी की बैठक में सर्वसम्मत से विचार किया गया कि "जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी के घटनाक्रम की निष्पक्ष जॉच करायी जाय ताकि न्याय हो सके।"

इसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि घूस मॉगने के मामले का सत्यापन कांर्य पुलिस द्वारा किया जाता है जिस पर संघ का सुझाव है कि "सत्यापन का कार्य डी०एस०पी० स्तर के पदाधिकारी से करायी जाय।"

संघ के द्वारा पूर्व में भी मॉग की गई थी कि दण्डाधिकारी की उपस्थिति में Trap की कार्रवाई की जाय।

संघ भ्रष्टाचार के मामले में सरकार के साथ है परन्तु संघ चाहता है इसमें पारदर्शिता हो ताकि गलत मंशा वाले व्यक्ति के कारण कोई निर्दोष पदाधिकारी पर कार्रवाई न हो।

विश्वासभाजन,

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, निगरानी विभाग को उपरोक्त बिन्दु पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपिः— महानिदेशक, निगरानी विभाग को उपरोक्त बिन्दु पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपिः— अध्यक्ष / सचिव, जिला इकाई मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपिः— सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी / अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ मधुबनी जिला ईकाई की दिनांक–28.10.2016 में हुई विशेष आपात बैठक की कार्यवाही :–

I– दिनांक–27.10.2016 को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में एक तथाकथित व्यापारी जो विदेशी पटाखे का अवैध बिक्री सहित भारत नेपाल सीमा पर तस्करी तथा अन्य वस्तुओं के अवैध तस्करी में संलिप्त है के अभ्यावेदन पर इन अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने वाले स्थानीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों (SDO/DSP) को जालसाजी पूर्वक एवं षडयंत्र रचकर तथा एक व्यूह रचनाकर न केवल अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया वरन उक्त दोनों ही वरीय पदाधिकारियों से जबरन राशि एवं कुछ अवांछित सामग्री की जब्ति दिखाते हुए बर्बर तरीका अपनाकर निगरानी पुलिस अभिरक्षा में गिरफतार किया गया।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की मधुबनी जिला ईकाइ इस घटना की तीव्र भर्त्सना करती है।

II– आज स्थानीय श्रोतो से इस प्रकरण को लेकर जो घटनाक्रम सामने आयी है वह और भी भयावह है। निगरानी पुलिस अभिरक्षा में लिए गए दोनों ही पदाधिकारी के गिरफतारी के संबंध में यह स्पष्ट हुआ है कि दोनो ही पदाधिकारियों में से किसी को भी रंगेहाथों न पकड़कर अन्य व्यक्ति को जबरन पैसा एवं अन्य वस्तुए थमाकर अमानवीय तरीके से दोनों पदाधिकारियों को उनके निवास स्थान से इस प्रकार उठाया गया मानों दोनों पदाधिकारी का अपहरण किया गया हो। इस पर पुलिस उपाधीक्षक जयनगर की धर्म पत्नी द्वारा सार्वजनिक रूप से घोर आपत्ति भी व्यक्त की गई है।

II– अतएव बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की जिला ईकाइ इस पूरी कारवाई की निष्पक्ष जॉच कराने तथा पूरी कार्रवई में निगरानी विभाग के पदाधिकारियों की संदेहास्पद भूमिका की जॉच कराने की मॉग करती है।

उपर्युक्त दोनों विन्दुओं के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की मधुबनी जिला ईकाई अपने केन्द्रीय कार्यकारणी से निम्न अनुरोध करती है।

(क) इस पूरे घटना क्रम के संबंध में शीध्र निगरानी विभाग बिहार पटना सहित सरकार के उच्च एवं प्रतिनिधियों से निष्पक्ष जॉच की मॉग की जाए।

(ख) भविष्य में निगरानी द्वारा इस प्रकार के किसी भी कारवाई चाहे वह किसी भी सरकारी कर्मी के विरुद्ध क्यों न हो पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी सहित विस्तृत मार्गदर्शिका सरकार के स्तर से निर्धारित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी कर्मियों के मौलिक अधिकार का हनन न हो एवं साथ ही Equality before law का सिद्वान्त इस राज्य में स्पष्ट नजर आ सके।

(ग) बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की मधुबनी जिला ईकाई केन्द्रीय कमिटि से यह भी अनुरोध करती है कि यदि निगरानी विभाग एवं सरकार के स्तर इस प्रकारण में यदि निष्पक्ष, न्यायपूर्ण तथा परदर्शी तरीके से जॉच की कार्रवाई नहीं अपनाई जाती है तो इस घटनाक्रम के विरोध स्वरूप चरणवद्ध कार्यक्रम की भी योजना बनाई जाए।

आयुक्त महोदय
आज प्राप्त
[signature] 9/11/16

[signature]
अध्यक्ष,
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
मधुबनी जिला।

ज्ञापांक :.....01...../मधुबनी दिनांक– 27.1.16

प्रतिलिपि :– बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, मधुबनी जिला के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/महासचिव, बिहार राज्य प्रशासनिक सेवा संघ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[signature]
अध्यक्ष,
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
मधुबनी जिला।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ मधुबनी जिला ईकाई की दिनांक–28.10.2016 में हुई विशेष आपात बैठक की कार्यवाही :–

I- दिनांक–27.10.2016 को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में एक तथाकथित व्यापारी जो विदेशी पटाखे का अवैध बिक्री सहित भारत नेपाल सीमा पर तस्करी तथा अन्य वस्तुओं के अवैध तस्करी में संलिप्त है के अभ्यावेदन पर इन अवैध कार्यो पर अंकुष लगाने वाले स्थानीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों(श्री मुस्तफा कमाल अंसारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर एवं श्री चंदनपुरी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जयनगर) को जालसाजी पूर्वक एवं षडयंत्र रचकर तथा एक व्यूह रचनाकर न केवल अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया वरन उक्त दोनों ही वरीय पदाधिकारियों से जबरन राशि एवं कुछ अवांछित सामग्री की जब्ती दिखाते हुए बर्बर तरीका अपनाकर निगरानी पुलिस अभिरक्षा में गिरफतार किया गया।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की मधुबनी जिला ईकाइ इस घटना की तीव्र भर्त्सना करती है।

II- आज स्थानीय श्रोतो से इस प्रकरण को लेकर जो घटनाकम सामने आयी है वह और भी भयावह है। निगरानी पुलिस अभिरक्षा में लिए गए दोनों ही पदाधिकारी की गिरफतारी के संबंध में यह स्पष्ट हुआ है कि दोनो ही पदाधिकारियों में से किसी को भी रंगेहाथों न पकड़कर अन्य व्यक्ति को जबरन पैसा एवं अन्य वस्तुए थमाकर अमानवीय तरीके से दोनों पदाधिकारियों को उनके निवास स्थान से इस प्रकार उठाया गया मानों दोनों पदाधिकारी का अपहरण किया गया हो। इस पर पुलिस उपाधीक्षक जयनगर की धर्म पत्नी द्वारा सार्वजनिक रूप से घोर आपत्ति भी व्यक्त की गई है।

II- अतएव बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की जिला ईकाइ इस पूरी कारवाई की निष्पक्ष जॉच कराने तथा पूरी कार्रवई में निगरानी विभाग के पदाधिकारियों की संदेहास्पद भूमिका की जॉच कराने की मॉग करती है।

उपर्युक्त दोनों विन्दुओं के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की मधुबनी जिला ईकाई अपने केन्द्रीय कार्यकारणी से निम्न अनुरोध करती है।

(क) इस पूरे घटना कम के संबंध में शीध्र निगरानी विभाग बिहार पटना सहित सरकार के उच्च एवं प्रतिनिधियों से निष्पक्ष जॉच की मॉग की जाए।

(ख) भविष्य में निगरानी द्वारा इस प्रकार के किसी भी कारवाई चाहे वह किसी भी सरकारी कर्मी के विरूद्व क्यों न हो पूरे घटनाकम की वीडियोग्राफी सहित विस्तृत मार्गदर्शिका सरकार के स्तर से निर्धारित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि सुरकारी कर्मियों के मौलिक अधिकार का हनन न हो एवं साथ ही Equality before law का सिद्वान्त इस राज्य में स्पष्ट नजर आ सके।

(ग) बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की मधुबनी जिला ईकाई केन्द्रीय कमिटि से यह भी अनुरोध करती है कि यदि निगरानी विभाग एवं सरकार के स्तर इस प्रकारण में यदि निष्पक्ष, न्यायपूर्ण तथा परदर्शी तरीके से जॉच की कार्रवाई नहीं अपनाई जाती है तो इस घटनाकम के विरोध स्वरूप चरणवद्व कार्यकम की भी योजना बनाई जाए।

अध्यक्ष, [signature] 28.X.16
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
मधुबनी जिला।

ज्ञापांक : 01 / मधुबनी दिनांक– 28.X.16

प्रतिलिपि :– बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, मधुबनी जिला के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष / महासचिव, बिहार राज्य प्रशासनिक सेवा संघ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष, [signature] 28.X.16
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
मधबनी जिला।

1. माननीय मुख्य मंत्री
बिहार पटना

पत्रांक 47 / 21-12-16

21/12/16

मुख्य मंत्री सचिवालय
बिहार, पटना

2. प्रधान सचिव
निगरानी विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक 47 / 21-12-16

21.12.16

3. महानिदेशक,
निगरानी विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक 47 / 21-12-16

21-12-16

4. महानिदेशक
निगरानी विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक 48 / 26/12/16

महानिदेशक महोदय द्वारा हाथों हाथ
26/12/16

5. माननीय मुख्यमंत्री
बिहार, पटना

पत्रांक 49 / 26/12/16

26/12/16

6. प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक 49 / 26/12/16

26/12/16